220
10/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 7, 9, 10

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-2, कार्यवाही प्रश्नोत्तर-रहित)

सोमवार, तिथि : 4 जुलाई, 1988 ई०
बुधवार, तिथि : 6 जुलाई, 1988 ई०
बृहस्पतिवार, तिथि : 7 जुलाई, 1988 ई०

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग-2 (कार्यवाही प्रश्नोत्तर-रहित)

सोमवार, तिथि 4 जुलाई, 1988 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार तिथि 4 जुलाई, 1988 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **प्रो० शिवचन्द्र झा**, के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री जयप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं।

अध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्नोत्तरकाल समाप्त।

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

श्री एस.पी. राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 243 के अधीन हम सदस्यगण आज सदन में निम्नलिखित विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव करने की अपनी इच्छा की सूचना देते हैं:

दिनांक 27 जून, 1988 के 'नवभारत टाइम्स' के महानगर संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर ही "विधान-सभा दस्तावेज-जालसाजी का मामला" शीर्षक विधान-सभा के गोपनीय प्रलेखों को छापकर और उस पर विधान-सभा के विरुद्ध अमर्यादित, असंवैधानिक एवं नियम विरुद्ध टिप्पणी

एवं आक्षेप किया गया जिसके अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा एंवं सदन की मर्यादा की क्षति पहुंचायी गयी तथा गोपनीय प्रलेखों को नियम विरुद्ध प्रकाशित किया गया तो जो भी विधान-सभा के विशेषाधिकार का हनन है।

दिनांक 28 जून, 1988 को नवभारत टाइम्स के महानगर संस्करण में प्रथम पृष्ठ पर ही श्री दीनानाथ मिश्र, स्थानीय सम्पादक ने "सवाल संसदीय आस्था का" शीर्षक स्तम्भ में न केवल अध्यक्ष, विधान-सभा पर मिथ्या अमर्यादित, दुष्प्रेरित एवं निराधार आरोप लगाए बल्कि अध्यक्ष, विधान-सभा तथा सदन के अधिकार क्षेत्र में भी दखल दिया और उसे चुनौती दी।

संबंधित प्रश्न के संबंध में अध्यक्ष, विधान-सभा द्वारा दिनांक 27 जून, 1988 को सदन में स्थिति स्पष्ट कर दिए जाने पर भी श्री दीनानाथ मिश्र ने "सवाल संसदीय आस्था का" शीर्षक में न केवल अध्यक्ष, विधान-सभा बल्कि सदन को भी मिथ्या, निराधार, दुष्प्रेरित आक्षेप एवं आरोप लगाकर अमर्यादित एवं अप्रतिष्ठित किया है।

नवभारत टाइम्स के दिनांक 28 जून, 1988 का निम्नांकित उदाहरण अवलोकनीय है :

"प्रश्न-वापसी व्यापार की रोकथाम करने वाले अध्यक्ष खुद प्रश्न विलोपित करे, यह आश्चर्य की बात है। खुद गुरु जी गुड़ और औरों को गुलगुले से परहेज बतायें।"

"प्रश्न स्वीकार करते समय अध्यक्ष महोदय ने उनके इस अधिकार को स्वीकार किया था और छप जाने के बाद वह सदन के प्रधिकार की संपत्ति थी और उसमें से वह प्रश्न निकाल कर जालसाजी नहीं की

जा सकती थी :"

"सवाल यह है कि सदन की" स्वायत्तता पर निर्मम और अविवेकपूर्ण आघात" कौन कर रहा है ? पाप अपराध है कि पाप का खुलासा करना ? यह देख लिया जाना चाहिये कि पाप क्या है और पापी कौन ?

इस प्रकार उक्त शीर्षक के अन्तर्गत अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा पर असंसदीय, अशोभनीय, निराधार और दुराग्रहपूर्ण मिथ्या आक्षेप एवं आरोप लगाए गये।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष, विधान-सभा को प्रश्न को संशोधित करने, अस्वीकृत करने, स्थगित करने तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत नियमों के सुसंगत रूप से कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आदेश देने की सर्वोपरि शक्ति है और इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के विरुद्ध संसदीय कार्य संबंध में किसी प्रकार का आरोप तथा आक्षेप विधान-सभा के विशेषाधिकार का हनन है।

प्रश्न के कार्य सूची में उल्लेख के उपरांत भी उसे स्थगित, वर्ग परिवर्तित एवं वापस लिया जा सकता है और यह सामान्य प्रक्रिया है। इस संदर्भ में कौल एंड शकधर के प्रैक्टिस एंड प्रोसीज्योर आफ पार्लियामेंट के पृ. 393 का निम्नांकित उद्धरण प्रासंगिक है :

"A question is deleted from the list of question on its being withdawn or posponed or trnsferred to a later date."

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी भी समय उन्हें यह ज्ञात हो कि स्वीकृत प्रश्न में कोई अनियमितता अथवा

असंवैधानिकता है तो वे उस प्रश्न के पूछे जाने पर स्थगित कर सकते हैं इस संदर्भ में "अर्सिकिन में" कि पार्लियामेंट प्रैक्टिस के पृष्ठ 334 का निम्नांकित उद्धरण अवलोकनीय है :

"The speaker has refused to permit a question to be asked although it stood upon the paper on his attention being drawn to an irrequlority."

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा का संबंधित प्रश्न में निर्णय संवैधानिक एवं नियमानुकूल है और उस पर किसी सदस्य अथवा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आक्षेप करना सदन की मर्यादा को धूल में मिलाना है।

उक्त दिनांक 28 जून, 1988 के नवभारत टाइम्स के उपरोक्त स्तम्भ में अध्यक्ष पर जो मिथ्या, निराधार एवं दुराग्रह से प्रेरित आरोप लगाये गये हैं वह सदन की मर्यादा का हनन है एवं सदन की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को जनता की निगाह में नीचे गिराता है।

इस संदर्भ में कौल एवं शकधर के प्रासंगिक उद्धरण अवलोकनीय है :

"It is the right of the speaker to interpret the Constitution and rules, so far as matters in or relating to the house are concerned, and no one, including the Government can enter into any argument of controversy with the Speaker over such interpretation."

Page No. 96.... " The Speaker's rulings, as already stated, cannot be questioned except on a substantive motion. A member who protests against the ruling of the Speaker commits a contempt of the House and the Speaker. The Speaker's decision is equally binding whether given in the House or on a departmental file. He is not bound to give

reasons for his decisions."

Page No. 226...." The publication of false or distorted, partial or injurious report of the debates or proceedings of the House or its Committees or wilful misrepresentation or suppression of speeches of particular members is an offence of the same character as the publication of libels upon the House, its Committees or members; and the persons who are responsible for such publication are liable to be punished for a breach of privilege or contempt of the House."

Page No. 223....." It is a breach of privilege and contempt of the House to make speeches, or to print or publish any libels reflecting on the character or proceedings of the House or its Committees. or on any members of the House for or relating to his character or conduct as members of Parliaments."

Page No. 224...." Examples of speeches and writtings which have been held to constitute breach of privilege and contempt of the House may be categorized as under :

Reflections on the House.

Reflections on the character and impartiality of the Speaker in the discharge of his duty."

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नवभारत टाइम्स के महानगर संस्करण के दिनांक 27 जून, 1988 के उपरोक्त प्रकाशनों से अध्यक्ष तथा सदन पर दुराग्रहपूर्ण मिथ्या एवं निराधार आरोपों से विधान सभा की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का हनन हुआ है अतएव हम प्रस्ताव करते हैं कि नवभारत टाइम्स महानगर संस्करण, पटना के प्रकाशक श्री देवदास चटर्जी, स्थानीय सम्पादक श्री दीनानाथ मिश्र, संवाददाता श्री पी.के. सिन्हा,

वैनेट कोलमैल एंड कम्पनी के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, मुद्रक श्री सुधीर जैन द्वारा पर्ल प्रिंटवेल लि. एवं अन्य सबंधित व्यक्तियों तथा पदाधिकारियों के विरुद्ध जो अध्यक्ष बिहार विधान सभा एवं सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं, पर विशेषाधिकार संबंधी कारवाई की जाय ताकि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा तथा सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा एवं स्वायत्ता सुरक्षित रह सके।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद यादव ने इस प्रस्ताव के विरोध में एक नोट भेजा है। मैं चाहूंगा कि वे दो शब्द कहें।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : आपको बोलने की अनुमति सदन नहीं देता है।

माननीय सदस्य ने प्रस्ताव मूव किया है सदन उस पर सहमत है अत: इसे सदन की विशेषाधिकार समिति को जांच एवं प्रतिवेदन के लिये सुपुर्द किया जाता है।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : कोई बात लिखी नहीं जायेगी। शून्य काल। श्री रामलाल सिंह।

शून्यकाल की चर्चाएं

(क) हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच

श्री रामलाल सिंह : महोदय, नवभारत टाइम्स में आज प्रकाशित "कांके अस्पताल के लेखापाल की हत्या" शीर्षक के सन्दर्भ में कहना